बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे में जानकारी- भाग-2

राजस्व न्यायालय में IA (हस्तक्षेप आवेदन) वाद दायर करने तथा वाद स्थिति देखने की प्रक्रिया अब सरल एवं सुगम-पूर्णतः पारदर्शी

① https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें।

② "Revenue Court Management System" पर क्लिक करें। तथा "File Case Online" बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना मोबाइल no की मदद से लॉगिन करें (अगर नए user है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा "राजस्व न्यायालय में मुकदमा दर्ज करें" पर क्लिक करें।

③ न्यायालय चुनें जिसमें आप I A दायर करना चाहते हैं। आपको तीन विकल्प मिलेंगे- अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं अपर समाहर्ता।

④ लॉगिन के उपरांत अब IA मेनू के अंतर्गत "File IA" पर क्लिक करें।

⑤ अब अधिनियम का नाम, जिला, केस संख्या और वर्ष भरें जिसके विरुद्ध आप IA दाखिल करना चाहते हैं और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।

⑥ अब नाम, पता, मोबाइल नंबर, आईए विवरण जैसे आवश्यक विवरण भरें, दस्तावेज़ संलग्न करें और आईए जमा करने के लिए "Submit" बटन पर क्लिक करें। आपको एक IA वाद संख्या मिलेगा। यह IA अपने आप उस मामले के साथ Cause-List में सूचीबद्ध हो जाएगा, जिस वाद के विरुद्ध आपने IA वाद दायर किया गया है।

राजस्व न्यायालय में दायर वाद की स्थिति देखने की प्रक्रिया

अपने वाद की स्थिति देखने के लिए आवेदक बिहारभूमि पोर्टल पर उपलब्ध "Revenue Court Management System" पर क्लिक करें, तत्पश्चात Case Status पर क्लिक करें। अपने वाद से संबन्धित विवरण यथा न्यायालय का नाम, अधिनियम का नाम, वाद संख्या तथा वर्ष चुन कर search बटन पर क्लिक करते ही वाद से संबन्धित सभी विवरण यथा वर्तमान स्थिति, वाद अभिलेख, पिछली सुनाई की तिथियाँ, तथा आदेश की प्रति दिखाई देगी।

आवेदक उक्त पोर्टल से "Cause List" पर क्लिक कर सुनवाई की तिथि को वाद कितने नंबर पर रखा गया है की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।